न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
147 / 2019	13.08.2019	4.4.23

पीठासीन अधिकारी– हरविन्दर सी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– महावीर आत्मज हीरालाल जाति धाकड निवासी डूगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

2– (डिलिट) मृतक भूली बेवा हीरालाल जाति धाकड निवासी डूगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा

2/1 सोसर बाई पुत्री हीरालाल जाति धाकड

2/2 सोहन बाई पुत्री हीरालाल जाति धाकड

2/3 गीताबाई पुत्री हीरालाल जाति धाकड

निवासीगण डूगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1– जुहारीलाल पुत्र गणेश जाति धाकड

2– दिनेश पुत्र बाबूलाल जाति धाकड

3– धनराज पुत्र रामपाल जाति धाकड

4– चन्द्रकान्ता पुत्री रामपाल जाति धाकड

5– संतोष पुत्री रामपाल जाति धाकड

6– भूली बाई पुत्री रामपाल जाति धाकड

7– शिवराज पुत्र छोटू जाति धाकड

8– शशिकला पुत्री छोटू जाति धाकड

9– मन्जू पुत्री छोटू जाति धाकड

10– (डिलिट) मृतक शान्तिबाई बेवा छोटू जाति धाकड

11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री के0 के0 वेष्णव एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री जितेन्द्र गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादीगण निम्न आधारों पर यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम डूगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा के वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 10 के खाते में खसरा नम्बर 654 रकबा 0.60 हेक्टर खसरा नम्बर 659 की रकबा 0.34 हेक्टर, कुल किता 2 रकबा 0.94 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि में वादीगण का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारान के नाम से पहले रिज्यूम 1.758 उपकृषक अंकित किया हुआ है। नकल जमाबन्दी सलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)

यह कि माफी के 01.07.1963 के पुर्नग्रहण होने पर राजस्थान सरकार भूमि अवाप्ति के स्थान पर और धारा 13 आर टी एक्ट तथा धारा 9 व 10 जागीर एक्ट के अनुसार एवं राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 2(682) आर ई वी / बी / 62 दिनांक 05.06.1965 व दिनांक 11.03.1966 व अधिसूचना दिनांक 10.05.1966 से तथा धारा 19 अधिसूचना व इनकी अनुपालना अनुसार ग्राम के सेवादारो यथा माफी चौकीदारी, माफी ग्राम बलाई आदि भूमि का खातेदार आसामी हो गया है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित रिज्यूम 1.7.58 उपकृषक का नोट हटाया जाना आवश्यक है।

यह कि इस सम्बन्ध मे वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 11 से दिनांक 01.08.2019 को रिज्यूम 1.7.58 का नोट राजस्व रिकॉर्ड से हटाये जाने का निवेदन किया किन्तु उन्होंने कोई ध्यान नही दिया और इन्कार कर दिया और सक्षम न्यायालय से आदेश लाने का कहा जिस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

यह कि उपरोक्त परिस्थितियो मे वादीगण के लिये माननीय न्यायालय मे घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश किया गया है।

अतःवाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

1– कि ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नम्बर 654 रकबा 0.60 हेक्टर , खसरा नम्बर 659 रकबा 0.34 हेक्टर , कुल किता 2 रकबा 0.94 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में से रिज्यूम 1.7.58 उपकृषक शब्द हटाये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2– कि प्रतिवादी क्रम 11 को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है

1– नकल जमाबन्दी ग्राम डूंगरज्या सम्वत 2071 से 74
2– नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043 से 2062
3– नकल जमाबन्दी ग्राम डूंगरज्या सम्वत 2047 से 2050
4– नकल जमाबन्दी ग्राम डूंगरज्या सम्वत 2051 से 2054
5– नकल जमाबन्दी ग्राम डूगरज्या सम्वत 2042 से 2062
6– नकल जमाबन्दी ग्राम डूगरज्या सम्वत 2035 से 2038
7– नकल भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 की ओर से इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी क्रम 11 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जेरकार वाद मे तनकीयात कायम की जाकर एव उभय पक्षकारान को अपने अपने साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एव युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के बाद साक्ष्य पूर्ण की जाकर पत्रावली को बहस पर नियत की गयी। बहस उभय पक्ष की सुनी गयी, हमने उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन अध्ययन मनन , अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावज, साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी मे ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद में प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत 2013 से 32 के दौरान विवादित भूमि वादीगण व अन्य की सहखातेदारी मे दर्ज थी। जिसका अवलो

बन्दोबस्त जमाबन्दी संम्वत 2013 से 32 में अंकन हो रहा है। वर्तमान मे भी वादीगण की उक्त विवादित भूमि पर वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है।

दौराने सेटलमेन्ट उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बरी कायम करते हुये खाता संख्या नया 225 व पुराना 203 रिज्यूम 1.7.58 उपकृषक दर्ज करते हुये खातेदारों का नाम दर्ज कर दिया, जिसका अधिकार सेटलमेन्ट अधिकारियों को नही है।

इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा पूर्व की जमाबन्दी जिसमें वादी का नाम बंदोस्त विभाग द्वारा जारी की गई है, उससे स्पष्ट होता है। वैसे भी इस संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद सेटलमेन्ट जमाबंदी में उपकृषक अंकित किया गया है, जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व विवादित भूमि पर वादी व अन्य का नाम बतौर खातेदार दर्ज था, इससे भी वादीगण का ही कब्जा काश्त तथा पूर्व में राजस्व रिकार्ड में उपकृषक दर्ज नही होना प्रमाणित होता है।

राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु/रिसप्सन ऑफ जागीर एक्टर 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत जागीर लेण्ड में पूर्वजों के समय व आर टी एक्ट के प्रभाव के पूर्व से ही काबिज है तो खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। तथा धारा 19 के अन्तर्गत सब–टिनेन्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार कर वाद डिक्री किये जाने बाबत किसी प्रकार की आपत्ति नही की है। राजस्व रिकार्ड एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

परिणामतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वादीगण को खातेदारी अधिकार दिये जाने एवं उपकृषक शब्द को हटाये जाने में राज्य सरकार का किसी प्रकार का अहित नहीं है, ऐसी स्थिति में ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद में स्थित खातस संख्या नया 225 व पुराना 203 में खसरा नम्बर 654 रकबा 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 659 रकबा 0.34 हेक्टर भूमि में दर्ज खातेदारान के नाम के आगे दर्ज ' रिज्यूम 1.7.58 उपकृषक ' हटाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। संबंधित बैंक का रहन यथावत रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। तहसीलदार दीगोद को उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहरीर जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 4.4.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद